राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः– प. 16 (07) गृह–9 / 2019 जयपुर, दिनांकः– 17 SEP 2019

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला सिरोही के गांव सादलवा, तहसील पिण्डवाडा में स्थित मुरदला–दिल्ली एचपीसीएल कम्पनी के पाईप लाईन पम्पींग स्टेशन को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप–खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरोही के गांव सादलवा, तहसील पिण्डवाडा में स्थित मुरदला–दिल्ली एचपीसीएल कम्पनी के पाईप लाईन पम्पींग स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्व स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र.स.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	सिरोही, पिण्डवाडा	सादलवा	खसरा संख्या 328	14.03 बीघा	खसरा संख्या 326 की भूमि	खसरा संख्या 354 की भूमि	खसरा संख्या 327,354 की कृषि भूमि	खसरा संख्या 320 व 324 की कृषि भूमि

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.सी. बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव
गृह विभाग

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सिरोही।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आनलाईन प्रकाशनार्थ।
5. उप शासन सचिव गृह ग्रुप–6 विभाग को उक्त अधिसूचना राजपत्र में आनलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु।
6. जनरल मैनेजर, मुरदला–दिल्ली एचपीसीएल कम्पनी, गोरवा, वडोदरा को सूचनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव
गृह विभाग